न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 10/2010 (2010/00015)

गणपतसिंह दत्तक पुत्र श्री मूलचन्द उर्फ श्री ताराचन्द गहलोत जाति माली निवासी मकान नं0 1414/37, सॉखला निवास के आगे, बाडिया, आर्दशनगर, अजमेर जिला–अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देवी बेवा मूलचन्द उर्फ ताराचन्द
2. श्रीमती सुशीला पत्नि लादूराम खींची
   समस्त जाति माली निवासी मकान नं0 1414/37,सांखला निवास के आगे, बाडिया, आर्दशनगर, अजमेर।
3. श्रीमती विमला देवी पत्नि कन्हैयालाल महावर निवासी 9 नम्बर पेट्रोल पम्प के पास, गैस गोदाम के सामने, भजनगंज, अजमेर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री निर्मल कुमार, नौरतमल जैन अभिभाषक रेस्पो0 संख्या–3

आदेश दिनांक :– 01.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता स्व0 मूलचन्द उर्फ श्री ताराचन्द पुत्र श्री हरि जाति माली की ग्राम थोक मालियान तृतीय, अजमेर में स्थित खतौनी नं0 1730 के खसरा संख्या 9233/2 रकबा 02–0–10 बारानी–1, खसरा संख्या 9253/2 रकबा 01–0–01 बाडी, खसरा संख्या 9256 रकबा 01–6–10 चाही–1, खसरा संख्या 9235 मिन रकबा 00–12–00 बाडी, खसरा संख्या 9254 रकबा 02–0–00 चाही–1, खसरा संख्या 9234 मिन रकबा 0–07–00 बाडी, खसरा संख्या 9213/2 रकबा 00–4–00 बारानी–2, खसरा संख्या 9209 रकबा 01–14–10 चाही–2, खसरा संख्या 9206/2 रकबा 0–9–10 चाही–1, खसरा संख्या 9201 रकबा 03–12–0 चाही–1, खसरा संख्या 9227 रकबा 0–4–10 चाही–2, खसरा संख्या 9225 मिन रकबा 00–2–00 चाह, खसरा संख्या 9247/2 रकबा 00–12–10 बाडी, खसरा संख्या 9249 रकबा 01–4–10 बाडी, कुल योग किता 14 कुल रकबा 15–10–00 बीघा तथा खेवट संख्या 148,146 के खसरा संख्या 9246 रकबा 0–19–10 चाही–1, खसरा संख्या 9236 रकबा 0–04–10 चाही–1, खसरा संख्या 9235 रकबा 0–7–0 बाडी, खसरा संख्या 9200 रकबा 0–6–0 चाही–1, खसरा संख्या 9229 रकबा 0–6–00 चाही–1, खसरा संख्या 9234 मिन रकबा 0–6–10 बाडी, खसरा संख्या 9226 रकबा 0–6–00 चाही–2, खसरा संख्या 9238 मिन रकबा 0–3–10 चाह, खसरा संख्या 9241/1 रकबा 0–0–10 मकान, कुल किता 9 कुल रकबा 02–16–10, कुल रकबा 18–6–10 बीघा थी। उपरोक्त आराजी के मूल खातदार श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द का निधन दिनांक 27.10.2006 को हो गया। जिनके वारिसान में बेवा श्रीमती देवी एवं दो पुत्रिया रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 है। पुत्र संतान नहीं होने के कारण बरवक्त स्वर्गवास माली जाति के रस्म एवं रिति रिवाज के अनुसार उनकी पगडी दस्तुर दिनांक 8.11.2006 के दिन अपीलान्ट (गणपत सिंह पुत्र लादूराम खींची) को श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द की पत्नि रेस्पो संख्या 01 द्वारा पगडी बंधवाकर सम्पूर्ण माली समाज के समक्ष अपना गोद पुत्र बना लिया। इस संदर्भ में दिनांक 22.12.2006 को रेस्पों सख्या 01 के द्वारा अपीलान्ट को गोद लेने बाबत पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा हल्का पटवारी के समक्ष नोटेरी से

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

तस्दीक शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र में अंकित सजरे के अनुसार विवादित आराजी के मूल खातेदार मूलचन्द उर्फ ताराचन्द की विरासत का नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रस्तुत किया गया। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 21.06.2007 को मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के नाम तस्दीक कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का संबधित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से जवाब मियाद प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम थोक मालियान तृतीय, अजमेर में स्थित खतौनी नं0 1730 के कुल किता 14 खसरान की कुल रकबा 15–10–00 बीघा तथा खेवट संख्या 148,146 के कुल किता 9 खसरान की कुल रकबा 02–16–10, इस प्रकार दोनो खातो की कुल रकबा 18–6–10 बीघा भूमि के खातेदार अपीलान्ट के पिता स्व0 मूलचन्द उर्फ श्री ताराचन्द पुत्र श्री हरि जाति माली थे। उपरोक्त आराजी के मूल खातदार श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द का निधन दिनांक 27.10.2006 को हो गया। जिनके वारिसान में बेवा श्रीमती देवी एवं दो पुत्रिया रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 है। पुत्र संतान नहीं होने के कारण बरवक्त स्वर्गवास (श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द) माली जाति के रस्म एवं रिति रिवाज के अनुसार उनकी पगडी दस्तुर दिनांक 8.11.2006 के दिन अपीलान्ट (गणपत सिंह पुत्र लादूराम खींची) को श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द की पत्नि रेस्पो संख्या 01 द्वारा पगडी बंधवाकर सम्पूर्ण माली समाज के समक्ष अपना गोद पुत्र बना लिया। इस संदर्भ में दिनांक 22.12.2006 को रेस्पों सख्या 01 के द्वारा अपीलान्ट को गोद लेने बाबत पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा हल्का पटवारी के समक्ष नोटेरी से तस्दीक शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र में अंकित सजरे के अनुसार विवादित आराजी के मूल खातेदार मूलचन्द उर्फ ताराचन्द की विरासत का नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रस्तुत किया गया। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 21.06.2007 को मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के नाम तस्दीक कर दिया गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुए आगे मियाद के तकनीकी बिन्दु बाबत निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 26.01.2010 को दी गई। तब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.01.2010 को नामान्तरकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 2.2.2010 को नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात घर परिवार में बातचीत कर अभिभाषक महोदय से कानूनी राय लिये जाने पर उनके द्वारा अपील की सलाह दी गई। इस पर दिनांक 11.2.2010 को अभिभाषक महोदय से मिलकर अपील तैयार करवाकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील को मियाद में शुमार किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनीकी बिन्दु के आधार पर किसी को सारभूत न्याय निर्णय से वंचित नहीं किया जा सकता। अपील प्रस्तुति में हुई, देरी सद्भाविक है इसलिये अपील के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब क्षमा फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना, तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना मनमर्जी से, सरसरी तौर पर जिस प्रकार से नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। लिहाजा अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 21.6.007 निरस्त फरमाया जाकर मृतक मूलचन्द की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के नाम तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आरआरडी 1995 पेज 120, आरआरडी 1985 पेज 170 के उद्धरण उद्वत करवाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2007 के विरूद्ध अपील हेतु 30 दिवस की मयाद थी। अपीलान्ट द्वारा अपील 18.2.2010 को प्रस्तुत की गई है, जो प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक होने के करीब तीन वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी इसके बावजूद वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 142/2007 बउनवान गणपतसिंह बनाम श्रीमती विमलादेवी व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 30.8.2007 को ही प्रस्तुत कर दिया था। इस राजस्व वाद के पैरा संख्या 9 में अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2007 को श्री मूलचन्द उर्फ ताराचन्द के वारिसान श्रीमती देवी पत्नि स्व0 मूलचन्द उर्फ ताराचन्द तथा दो पुत्रियॉ श्रीमती सुशीला एवं श्रीमती विमलादेवी के नाम ही स्वीकृत किया गया है। इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा राजस्व वाद के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि कें बाबत राजस्व वाद संख्या 142/07 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92–ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 30.8.2007 को प्रस्तुत किया गया के रोज एवं इससे पूर्व ही अपीलाधीन विरासती नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 21.6.2007 की पूर्ण जानकारी थी। जानकारी होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर होने तथा विवादित भूमि के बाबत अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में विरासती नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (24) 2017 पेज 334–338, 2017(2)आरआरटी 852–857, 2009(1)आरआरटी 432–440 के उद्धरण उद्वत करवाये।

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 21.6.2007 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 18.2.2010 को प्रस्तुत की गई है। मियाद बिन्दु बाबत अपीलान्ट का मुख्यतः तर्क है कि उन्हें आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 26.01.2010 को प्राप्त हुई। जब कि प्रश्नगत आराजी बाबत अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में राजस्व वाद संख्या 142/2007 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92–ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 30.8.2007 को स्वयं द्वारा मय शपथ प्रस्तुत किया गया है। इस राजस्व वाद के पैरा संख्या 09 में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना भी स्वीकार किया गया है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन विरासती नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी अपील प्रस्तुति से पूर्व ही थी। इसके बावजूद तथ्यों को छुपाकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब दो

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

वर्ष 7 माह 26 दिन की मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इस अवधि को कन्डोन करने सम्बन्धी कोई युक्तियुक्त न्यायोचित आधार भी प्रकट नहीं है। नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी जाहिर हुआ है कि विवादित आराजी बाबत सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है, जिसमें प्रश्नगत गोदनामें को फर्जी करार दिये जाने के कथन भी दर्ज किये गये है। चूंकि विवादित आराजी बाबत अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें प्रश्नगत आराजी बाबत हको का निर्धारण होना है। लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विरासती नामान्तरकरण के विरूद्ध मियाद बाहर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर